न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 182/2024(जी.सी.एम.एस.2024/)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बलवन्त कौर पत्नी जसवन्त सिंह जाति रायसिख निवासी 44 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरबंस कौर पत्नी जगदीश सिंह जाति रायसिख निवासी 44 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:-21.08.2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- **दिनांक : 05.11.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 158/14 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.114 हैक्टेयर, खाता संख्या 153/149 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.089 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 157/149 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.454 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 156/149 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण बलवन्त कौर व हरबंस कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों की भूमि एकल खातों में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 158/14, खाता संख्या 153/149, खाता संख्या 156/149, खाता संख्या 157/149 की भूमि को एकल खाता में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2502 दिनांक 25.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम 44 जीजी के खाता संख्या 158/149, 153/149, 156/149, 157/149 कुल चारो खातों में बलवन्त कौर पत्नी जसवन्त सिंह 1/2 हिस्सा व हरबन्स कौर पत्नी जगदीश सिंह 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है, जो कि इन्तकाल संख्या 931 दिनांक 21.03.2024 बेचान से प्राप्त हुई थी। प्रार्थीगण उक्त चारों खातों को एक करवाना चाहते है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 158/14 की प्रति, राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 153/149 की प्रति, राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 157/149 की प्रति, राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 156/149 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 158/14, खाता संख्या 153/149, खाता संख्या 157/149, खाता संख्या 156/149 की भूमि को एक ही खाता में दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार राजस्व ग्राम 44 जीजी के खाता संख्या 158/149, 153/149, 156/149, 157/149 कुल चारो खातों में बलवन्त कौर पत्नी जसवन्त सिंह 1/2 हिस्सा व हरबन्स कौर पत्नी जगदीश सिंह 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है, जो कि इन्तकाल संख्या 931 दिनांक 21.03.2024 बेचान से प्राप्त हुई थी। प्रार्थीगण उक्त चारों खातों को एक करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, शपथ पत्र प्रार्थीगण, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 158/14, खाता संख्या 153/149, खाता संख्या 157/149, खाता संख्या 156/149 की भूमि को एक ही खाता में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

बलवन्त कौर आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 182/2024

निर्णय दिनांक :- 21.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 44 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ. नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 158/14, खाता संख्या 153/149, खाता संख्या 157/149 व खाता संख्या 156/149 की भूमि को एक ही खाता में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 05.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 05.11.2024

क्रमांक: रीडर/2024/584

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर